प्रकरण संख्या 69/2018 करणसिंह बनाम मोहनसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.10.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सगतपुरा, तहसील भीण्डर में वाद पत्र के परि ाश्ट ''क'' की आराजी नंबर 200/2, 220 से 223, 226, 337, 347 से 351, 353 से 357 कुल किता 17 रकबा 83 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है। टिप्पणी में नामान्तरकरण संख्या 309 बक्षीस से आराजी नंबर 347 से 351, 353 से 357 कुल किता 10 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा करणसिंह पिता सरदारसिंह के बजाय निर्भयसिंह, ि ावसिंह पिता करणसिंह राजपूत के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। इसी प्रकार परि ाश्ट ''ख'' की आराजी नंबर 224 व 225 किता 2 रकबा 16 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूश सरदारसिंह जी थे, जिनके दो पुत्र भोपालसिंह व करणसिंह तथा दो पुत्रियां सायर कुंवर व प्रका ा कुंवर हुई जो अपनी ससुराल रहती हैं। सरदारसिंह ने अपनी कुलिया भूमि अपने दोनों पुत्रों भोपालसिंह व करणसिंह के बराबर बराबर बांट दी, तब से दोनों भाई इसी अनुसार काबिज होकर का त करते चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 करणसिंह जी के वारिस होने से परि ाश्ट ''क'' की आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा है तथा परि ाश्ट ''ख'' की आराजियात में प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 5 सुरेन्द्रसिंह के पुत्र, पुत्री होने से परि ाश्ट ''क'' में सुरेन्द्रसिंह के हिस्से में प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी सुरेन्द्रसिंह का 1/24 हिस्सा है तथा परि ाश्ट ''ख'' की आराजियात में प्रत्येक वादीगण व सुरेन्द्रसिंह का 1/48 हिस्सा होकर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज हैं। वादग्रस्त परि ाश्ट ''क'' की आराजियात में करणसिंह का 1/6 हिस्सा एवं परि ाश्ट ''ख'' की आराजियात में 1/12 हिस्सा ही है, लेकिन प्रतिवादी निर्भयसिंह व ि ावसिंह प्रतिवादी संख्या 1 करणसिंह को बहला-फुसलाकर परि ाश्ट ''क'' की आराजी नंबर 347 से 351, 353 से 357 कुल किता 10 रकबा 16 बीघा 3 बिस्वा का एक बक्षीसनामा अपने पक्ष में निश्पादित करवा लिया जो वादीगण के मुकाबले अवैध एवं भून्य है। पक्षकारों के	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:22 IST
Reason: SelfAttested

मध्य अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु बक्षीसनामें के आधार पर उनके पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत हो जाने से वादग्रस्त आराजियात अन्य व्यक्तियों को बैह बक्षीस आदि तरीके से हस्तान्तरित करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वाद वर्णित आराजियात का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर परिशिष्ट ''क'' की आराजियात में वादीगण को 3/24 हिस्से का तथा परिशिष्ट ''ख'' की आराजियात में 3/48 हिस्से का खातेदार घोशित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर प्रतिवादी संख्या 1 करणसिंह द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आदे श 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि प्रार्थी को सम्यक रूप से तामिल नहीं होने से वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके एवं उनके विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अतः एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 12.05.2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोशणीय नहीं होने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27.06.2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 7 की ओर से वकील श्री ललित जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5 की ओर से वकील श्री सुखलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री भगवतीलाल जैन उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 से 11 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:20:23 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील अपीलकर्ता ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2017 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा आदे श 9 नियम 13 जा.

दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो अधिनस्थ न्यायालय ने यह कह कर खारिज कर दिया कि एकपक्षीय निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गयी है, जिससे आवेदन पोशणीय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी के द्वारा आवेदन के तथ्यों का विरोध नहीं करने के कारण आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का आदे ा 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मूलवाद की अपील आर.ए.ए. न्यायालय में विचाराधीन होने से पोशणीय नहीं है एवं इस आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन उचित नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला है, जो न्यायहित में दिया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण सं. 69/2018 निर्णय दिनांक 12.05.2018 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 04.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)

[illegible] प्रबन्ध अधिकारी

एवं [illegible] स्व अपील अधिकारी

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chauhan

Date: 2021.11.16 12:20:22 IST

Reason: SelfAttested